



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264754
CG-DL-E-17072025-264754

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3181]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ़ 25, 1947

No. 3181]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2025

का.आ. 3251(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 15 अप्रैल 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1718 (अ) तारीख, 15 अप्रैल 2025, के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विलंगमों से मुक्त होकर, आत्यांतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, पोस्ट बॉक्स नं 60, बिलासपुर, जिला बिलासपुर 495006, छत्तीसगढ़ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकारी कम्पनी कहा गया है) ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिये सहमत है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त 41.992 हेक्टर (लगभग) या 103.762 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 15 अप्रैल 2025 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कम्पनी में निहित हो जाएंगे, अर्थातः—

(1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, शतियों आदि और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;

(2) उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;

(3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;

(4) सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने की शक्ति नहीं होगी; और

(5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/5/2023-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2025

S.O. 3251(E).—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 1718 (E), dated the 15th April, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th April, 2025, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) are vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas the Central Government is satisfied that the South Eastern Coalfields Limited, Seepat Road, P.B. No. 60, District Bilaspur 495006, Chhattisgarh (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the land measuring 41.992 hectares (approximately) or 103.762 acres (approximately) and all rights in or over the said land so vested, shall with effect from 15th April, 2025 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:

- (1) the Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
- (2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (i) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;

- (3) the Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in or over the said land so vested;
- (4) the Government company shall have no power to transfer the said land and the rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
- (5) the Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F. No. 43015/5/2023-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.